BEFORE THE HON'BLE COURT OF COMMISSIONER, JABALPUR DIVISION (M.P.)

CASE No. -1-/2017 R-7015-I-17

265

APPLICANTS:

1. SHRI MAHENDRA SURANA, S/O LATE SHRI DHANRAJ SURANA AGED ABOUT 57 YEARS............................(BUYER)

2. SMT. PUSHPA JAIN, W/O SHRI MAHENDRA SURANA, AGED ABOUT 54 YEARS............................(BUYER)

BOTH R/O WARD NO. 6, MAIN ROAD, BALAGHAT, TEHSIL & DISTRICT BALAGHAT (M.P.)

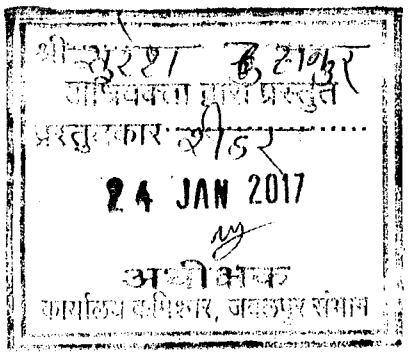

श्री सुरेश ठाकुर अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतकार 24 JAN 2017 अधीक्षक कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

//VERSUS//

RESPONDENTS:

1. STATE OF MADHYA PRADESH THROUGH: SUB REGISTRAR, BALAGHAT, DISTRICT BALAGHAT (M.P.)

2. SMT. JYOTI RANGLANI W/O SHRI NARAYAN DAS RANGLANI AGED ABOUT 54 YEARS............................(SELLER)

3. SMT. MEENA RANGLANI W/O SHRI AVTAAR RANGLANI AGED ABOUT 50 YEARS............................(SELLER)

BOTH R/O WARD NO. 22, MARDIKAR ROAD, BALAGHAT, TEHSIL & DISTRICT BALAGHAT (M.P.)

REVISION UNDER SECTION 56 (4) OF THE INDIAN STAMP ACT, 1899

The Applicants herein have preferred the instant revision application being aggrieved by Order dt. 30.04.2016 which is annexed herewith as **ANNEXURE A-1**, passed by the Hon'ble Court of Collector of Stamps, Balaghat (M.P.) in Case No. ~~04~~/B-103/S. 33 / 2014-15, in pursuance of amendment application preferred by

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 7015–एक/17 जिला बालाघाट

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3–2–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर आफ स्टाम्प बालाघाट के प्रकरण कमांक 04/बी–103/धारा 33/14–15 में पारित आदेश दिनांक 30–4–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन विलेख संशोधन पत्र दिनांक 09–10–14 के माध्यम से उप पंजीयक बालाघाट के समक्ष पंजीयन हेतु एक आवेदन पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया उपपंजीयक कार्यालय बालाघाट के समक्ष दिनांक 09–9–2014 को प्रस्तुत किये गये दस्तावेज में केताओं के नाम के साथ भागीदारी फर्म का नाम जोडे जाये। यह भी लेख किया कि चुंकि संशोधन पत्र संदर्भित दस्तावेज का ही एक सम्पत्ति से संबंधित है अतः प्रस्तुत संशोधन पत्र धारा 58 तक की कार्यवाही उपरांत मूल विकय पत्र के साथ संलग्न किये जाने हेतु तथा स्वरूप निर्धारण हेतु प्रस्तुत किया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदक को कलेक्टर आफ स्टाम्प ने इस आधार पर निरस्त किया कि आवेदन के स्वीकार करने से प्रश्नाधीन प्रकरण सारभूत परिवर्तन की श्रेणी में आता है न कि संशोधन पत्र। कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर ध्यान आकृषित नहीं किया कि प्रस्तुत	

दस्तावेजा पंजीकृत नहीं हुये थे और आवेदक ने स्वयं की फर्म जो कि रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी जबलपुर में विधिवत रजिस्टर कमांक 435 पर दिनांक 29—11—94 रजिस्टर्ड है। चूंकि आवेदक फर्म द्वारा अपने भागीदार द्वारा ही कय किये जा रहा है एवं पूर्व में विचारोक्त संपत्ति का विकय भी फर्म के द्वारा किया गया था और प्रश्नाधीन निर्माणाधीन संपत्ति पर भी भू—अभिलेखों में भी फर्म श्री नाकोडा बिल्डर्स का नाम दर्ज चहा आ रहा है। ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन प्रकरण में सारभूत परिवर्तन नहीं आता है और न ही अधिकारों एवं दायित्वों में परिवर्तन नहीं हो रहा है। दर्शित परिस्थितियों में कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा जो निष्कर्ष निकालकर आवेदक का आवेदन निरस्त करने में अवैधानिक कार्यवाही की है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर आफ स्टम्प बालाघाट द्वारा पारित आदेश दिनांक 30—4—2016 निरस्त किया जाता है तथा कलेक्टर आफ स्टाम्प को आवेदक द्वारा प्रस्तुत संशोधन पत्र के अनुसार मूल दस्तावेज को संलग्न कर आवेदक केताओं के साथ फर्म श्री नाकोडा बिल्डर्स का नाम जोडने के निर्देश दिये जाते हैं।

पक्षकार सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य